प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

पीठ समक्ष : माननीय श्री आई. एम. कुद्दूसी तथा

माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीशगण

<u>एम. ए. (सी) क्रमांक 888/2009</u>

अपीलकर्तागण: श्रीमती जनक बाई सतनामी एवं

अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : भानु प्रसाद मनिकपुरी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपील अतंर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम, 1988</u>

उपस्थित:

श्री अशोक सोनी, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री शक्तिराज सिन्हा, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता।

श्री दीपक गुप्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

श्री अनिल सिंह राजपूत, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 से 6 के अधिवक्ता।

<u>एम. ए. (सी) क्रमांक 141/2009</u>

अपीलकर्तागण: श्रीमती जनक बाई सतनामी एवं

अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण: भानु प्रसाद मनिकपुरी एवं अन्य

<u>अपील अतंर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम, 1988</u>

उपस्थित:

श्री अशोक सोनी, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री शक्तिराज सिन्हा, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता।

श्री दीपक गुप्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

श्री अनिल सिंह राजपूत, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 से 6 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(04/02/2011)

न्यायालय का निम्न मौखिक आदेश माननीय न्यायमूर्ति आई. एम. क़ुद्दूसी द्वारा पारित किया गया:

ये दोनों अपीलें दिनांक 11/09/2008 के उस आक्षेपित अधिनिर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

भाठापारा, शिविर न्यायालय, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा दावे क्रमांक.44/2007 एवं 45/2007 के दो दावा प्रकरणों में पारित किया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25/08/2006 को प्रातः लगभग 09:15 बजे मृतक बीरझू सतनामी अपनी ठेला गाड़ी पर बस स्टैण्ड सिमगा के सामने फल बेच रहा था, उसी समय बिलासपुर दिशा से आ रहा ट्रक पंजीयन क्रमांक यु.पी.-66/डी-9188, जिसे अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उतावलापन एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था, ने खड़ी जीप क्रमांक सी.जी. 08/जेड.डी.0284 को टक्कर मारी, फिर मृतक बीरझू सतनामी की ठेला गाड़ी को तथा साइकिल सवार श्रीचरण यादव को टक्कर मारी, जिसके कारण जीप में बैठे मोहम्मद इफ्तिखार तथा जीप के शीशे की सफाई कर रहा नाजू अली, तथा बीरझू सतनामी एवं श्रीचरण यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर चोटों के कारण बीरझू सतनामी तथा नाजू अली की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक बीरझू सतनामी की आयु लगभग 22 वर्ष थी तथा वह श्रमिक के रूप में कार्य करता था और प्रतिमाह लगभग रु.4,500/- अर्जित करता था। दावा-प्रार्थियों ने रु. 7,50,000/- की क्षतिपूर्ति का दावा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावा प्रकरण क्रमांक 44/07 श्रीमती जनक बाई सतनामी द्वारा, स्वयं को मृतक स्व. बीरझू सतनामी की विधवा बताते हुए तथा अपने नाबालिग पुत्र, जिसकी आयु दावा याचिका प्रस्तुत करते समय लगभग 1 माह थी, नाम सतीश, आत्मज बीरझू सतनामी की अभिभाविका के रूप में, दायर किया गया। अन्य दावा प्रकरण क्रमांक 45/07 मृतक की विधवा माता द्वारा, मृतक के 10 वर्ष के नाबालिग भाई धनसिंह तथा 6 वर्ष की नाबालिग बहन कु. धनमती के साथ मिलकर दायर किया गया।

4. उक्त दावा प्रकरण, अर्थात् 45/07 में, मृतक की विधवा माता की ओर से यह विवाद उठाया गया कि अपीलकर्ता श्रीमती जनक बाई सतनामी मृतक, अर्थात् बीरझू सतनामी, की विधिवत् विवाहित पत्नी नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. माननीय अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्रीमती जनक बाई सतनामी मृतक की विधि सम्मत विवाहित पत्नी नहीं थीं तथा उनके द्वारा दायर दावा याचिका (दावा प्रकरण क्रमांक 44/07) को ख़ारिज कर दिया तथा मृतक की माता, भाई एवं बहन द्वारा दायर दावा प्रकरण, अर्थात् दावा प्रकरण क्रमांक 45/07, को स्वीकृत करते हुए रु. 6,27,000/- की क्षतिपूर्ति 6% साधारण ब्याज सहित प्रदान की। दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से लेकर प्रतिकर राशि के भुगतान किए जाने तक, प्रतिवर्ष 6% साधारण ब्याज दिए जाने का आदेश पारित किया गया।

6. आदेश से असंतुष्ट होकर, वर्तमान अपील अपीलकर्ता श्रीमती जनक बाई सतनामी, जो स्वयं को मृतक की विधवा बताती हैं, एवं उनके नाबालिग आत्मज सतीश, आत्मज बीरझू सतनामी, की ओर से दायर की गई है।

7. न्यायालय ने आक्षेपित अधिनिर्णय का अवलोकन किया तथा पाया कि नाबालिग बालक की वैधता के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है, क्योंकि यदि अपीलकर्ता क्रमांक 1 को मृतक की विधि-सम्मत पत्नी नहीं पाया भी जाए, तथापि अपीलकर्ता क्रमांक 2 का जन्म हुआ तथा वह मृतक का पुत्र है, तो कम से कम उसे मृतक का अवैध संतान माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दावा याचिका पोषणीय नहीं है। यह देखते हुए कि मोटर यान अधिनियम की धारा 166 में यह प्रावधान है कि धारा 165(1) में वर्णित प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के लिए आवेदन मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. 'विधिक प्रतिनिधि' की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता, की धारा 2 की उपधारा 11 में निम्नानुसार की गई है :

> "(11) 'विधिक प्रतिनिधि' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो विधि की दृष्टि में किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता हो तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भी सम्मिलित करता है जो मृत व्यक्ति की

संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन करता हो, और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधिक रूप में वाद दायर करता है या उसके विरुद्ध ऐसा वाद दायर किया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति से है जिस पर उस पक्षकार की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति आच्छादित होती है।"

9. अधर्मज संतान के अधिकारों के संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है :

"16. शून्य एवं शुन्यकरणीय विवाहो से उत्पन्न संतान की धर्मजता। – (1) इस तथ्य के होते हुए भी कि धारा 11 के अधीन विवाह शून्य एवं अकृत है, ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी संतान, जो विवाह वैध होने की स्थिति में वैध मानी जाती, वह धर्मज मानी जाएगी..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"वैध, भले ही ऐसी संतान का जन्म विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1976) के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, और यह भी अप्रासंगिक होगा कि ऐसे विवाह के संबंध में इस अधिनियम के अधीन अकृतता की डिक्री पारित की गई हो या नहीं, अथवा यह कि विवाह को इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना पत्र के अलावा किसी अन्य प्रकार से शून्य माना गया हो या नहीं।

(2) जब धारा 12 के अधीन शुन्यकरणीय योग्य विवाह के संबंध में अकृत की डिक्री पारित की जाती है, तब ऐसी कोई संतान जो डिक्री पारित होने से पूर्व उत्पन्न या गर्भधारण की गई हो और जो, यदि डिक्री की तिथि को विवाह का विच्छेद या निरस्तीकरण न हुआ होता, तो पक्षकारों की धर्मज संतान मानी जाती, उसे, अकृतता की डिक्री के बावजूद, उनकी धर्मज संतान माना जाएगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निहित कोई भी बात ऐसी किसी संतान को, जो ऐसे विवाह से उत्पन्न हुई हो जो अकृत या शून्य (**null and void**) है या जो धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया हो, माता–पिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं समझी जाएगी, जहाँ, यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता, तो ऐसी संतान अपने माता–पिता की धर्मज संतान न होने के कारण ऐसे किसी अधिकार को धारण करने या अर्जित करने में असमर्थ होती।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त के आलोक में, यदि अपीलकर्ता क्रमांक 2 अधर्मज संतान भी हो, तो भी उसका दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि माननीय अधिकरण ने गवाहों के कथनों तथा जिरह के दौरान दिए गए बयानों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। दावा प्रकरण क्रमांक 45/07 के दावेदारों की गवाह क्रमांक 1, मृतक की माता दुलार बाई ने अपने कथन में कहा है कि दुर्घटना की तिथि से तीन महीने बाद उसके पुत्र के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, यद्यपि उसने अपीलकर्ता क्रमांक 1 से विवाह होने से इंकार किया था। यह कथन हिंदी में दर्ज किया गया था। उसके प्रति–परीक्षण के कंडिका 8 में दिए गए कथन के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, कि दुर्घटना के समय जनक बाई 7 माह के गर्भ में थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, कि दुर्घटना के तीन माह पश्चात् मेरे पुत्र बिरझू सतनामी का पुत्र पैदा हुआ।"

12. मृतक की माता के अन्य गवाह क्रमांक 2 रूपाल ने भी इसी प्रकार यह कहा है कि उसे दुर्घटना की तिथि से तीन माह बाद बिरझू सतनामी के पुत्र के जन्म के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलकर्ता क्रमांक 1 के गवाह क्रमांक 4, नाम कर्तिकराम ने यह कहा कि वह ग्राम डोगरिया के सतनामी समाज का छैढ़ीदार था तथा सतनामी समाज में जो भी विवाह होता है, वह सदैव उसके परामर्श और अनुमति से ही होता है। उसने कहा

कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 का विवाह, उसकी बड़ी बहन तथा भाई का विवाह – ये तीनों विवाह एक साथ सम्पन्न हुए थे तथा तीनों का 'मडवा' एक ही था। श्रीमती जनक बाई सतनामी, अपीलकर्ता क्रमांक 1, का विवाह मृतक बिरझू सतनामी के साथ हुआ था और बिरझू सतनामी ने उसे 80 रु. 'दक्षिणा' के रूप में दिए थे तथा दुर्घटना के समय नाबालिग सतिश गर्भ में था और दुर्घटना की तिथि से तीन माह बाद उसका जन्म हुआ। जिरह में दावा प्रकरण क्रमांक 45/07 के दावेदारों अर्थात् मृतक की माता एवं अन्य की ओर से यह सुझाव दिया गया कि जनक बाई सतनामी के ससुराल में कुछ विवाद हुआ था, इसलिए वह मायके चली आई थी। उसने इस सुझाव का खंडन किया और कहा कि वह 'जचकी' अर्थात् प्रसव हेतु आई थी। आगे यह सुझाव भी दिया गया कि मृतक बिरझू सतनामी अपनी पत्नी को लाने गया था, जिसका भी उसने खंडन किया। गवाह ने आगे यह भी कहा कि जब अपीलकर्ता क्रमांक 1 वापस नहीं आई, तब पंचायत बैठी तथा अलगाव (**separation**) कर दिया गया। अनावेदक की ओर से प्रतिपरीक्षण में व्यक्त उक्त कथन किया गया है। अनावेदक क्रमांक 4, 5 एवं 6, जो कि दावा प्रकरण क्रमांक 45/07 के दावेदार हैं, का कंडिका 2 में किया गया कथन निम्नानुसार उद्धृत है :–"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यह कहना गलत है, कि जनक बाई अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके बैठ गई। स्तव : कहना है, कि जचकी के लिए गई थी। यह कहना गलत है, कि बिरझू अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था। यह कहना गलत है, कि जब वह वापस नहीं आई, तो पंचायत बुलाई गई, छोड़ छुट्टी हो गई थी।"

13. जिनिया केवटिन एवं अन्य बनाम कुमार सीताराम मांझी एवं अन्य, प्रकाशन 2003 (1) एस.सी.सी.730 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 4 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो दिनांक 27-05-1976 से प्रभावशील हुआ। सामान्य विधि के अंतर्गत किसी बालक को धर्मज माने जाने के लिए वैध विवाह-संबंध में जन्म लेना आवश्यक था। यदि विवाह ही वैधानिक उपबंधों के उल्लंघन के कारण शून्य हो, तो ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी बालक, स्वयं में ही अथवा ऐसे विवाह के शून्य घोषित या निरस्त किए जाने की स्थिति में, पक्षकारों से उत्पन्न संतानों को अवैध सिद्ध करने का प्रभाव उत्पन्न करता था। बहुविवाह, जो अतीत में हिंदुओं में मान्य और व्यापक रूप से प्रचलित था तथा

समाज पर उसके दुष्प्रभाव माने जाते थे, संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का अधिनियमन कर समाप्त किया गया। संतान की धर्मज स्थिति, जो उनके माता–पिता के विवाह के वैध या अवैध होने पर अत्यधिक निर्भर थी, इस प्रकार उस परिस्थिति पर आ टिकी कि निर्दोष बालक, जिसके ऊपर उसका कोई दोष नहीं था, केवल इसलिए जीवन भर और समाज की दृष्टि में अवैध संतान होने का कलंक लेकर गंभीर क्षति उठाता रहा। विधायिका द्वारा धारा 16 का प्रावधान कर इस महान सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से निश्चित ही एक सराहनीय एवं श्रेष्ठ कार्य किया गया। साथ ही, अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान करते हुए कि यद्यपि संतान अधर्मज है, फिर भी उसे वैध माना जाएगा, भले ही विवाह शून्य या शुन्यकरणीय योग्य हो, विधायिका ने एक विधिक काल्पनिक उपबंध का समावेशन किया, तथापि ऐसे बच्चों के उत्तराधिकार या विरासत के अधिकार के संबंध में उसकी प्रयोज्यता को केवल माता–पिता की संपत्ति तक ही सीमित रखा गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"साथ ही, जबकि अवैध संतानों को भी वैध माने जाने के लिए एक विधिक कल्पना का समावेश किया गया है, भले ही विवाह शून्य या शुन्यकरणीय योग्य हो, विधायिका ने इसकी प्रयोज्यता को उत्तराधिकार

या ऐसे बच्चों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में केवल माता–पिता की संपत्ति तक ही सीमित रखा है।"

14. अतः, हमारा मत है कि माननीय दावा अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है तथा बिना विवेचन किए ही निष्कर्ष दे दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वैधता का प्रश्न केवल दुर्घटना संबंधी दावे के प्रसंग में माता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव हैं, इसलिए इसका न्यायसंगत रूप से निर्णय किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अधिकरण ने मुआवजे की मात्रा निर्धारित करते समय भी त्रुटि की है, क्योंकि मृतक को अविवाहित मानकर उसकी निजी जीवन–यापन व्यय हेतु केवल 1/3 भाग ही घटाया गया है, जबकि अविवाहित व्यक्ति के मामले में 50% की कटौती की जानी चाहिए। किंतु विवाहित व्यक्ति या संतान/संतानें होने की स्थिति में, चाहे धर्मज हों या अधर्मज, स्थिति भिन्न होगी। इन सभी पहलुओं पर अधिकरण द्वारा पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

16. इस अवस्था में, प्रत्यर्थी क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उसे बच्चे का डी.एन.ए. परीक्षण कराए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने भी यह निवेदन किया कि उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमारा मत है कि मामले में सर्वांगीन

पुनर्विचार अपेक्षित है, अतः हम इस स्तर पर कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। तथापि हमारा मत है कि आक्षेपित निर्णय में अधिकरण द्वारा दिए गए समस्त निष्कर्ष अपास्त किए जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आक्षेपित अधिनिर्णय तथा उसमें निहित निष्कर्षों को अपास्त करते हैं तथा प्रकरण को पुनः दावा अधिकरण के पास इस निर्देश सहित प्रेषित करते हैं कि वह दावा याचिका का पुनः नये सिरे से निर्णय करे।

17. पक्षकारों को यह अनुमति होगी कि वे अपनी अभिवचन में संशोधन करें, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करें, दस्तावेज़ों को पेश करें या दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाएँ इत्यादि, तथा उसके पश्चात् आक्षेपित अधिनिर्णय में दिए गए निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना पुनः नवीन सिरे से निर्णय किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पक्षकार दिनांक 14 मार्च, 2011 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे।

19. दावा याचिकाओं को पुनः नवीन निर्णय हेतु उनके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाएगा।

20. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बिना किसी विलंब के पुनः अधिकरण को भेजा जाएगा।

21. इस आदेश की एक प्रति ऍम.ए.(सी). क्रमांक 888/2009 एवं ऍम.ए. (सी). क्रमांक 141/2009 के अभिलेख में संलग्न की जाएगी।

22. वाद व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं।

सही/-
आई. एम. कुद्दूसी
न्यायाधीश

सही/-
प्रशांत कुमार मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By T.R. Burman